कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 21 अप्रैल 2012 का कार्यवृत्त :-

बैठक में निम्न ने प्रतिभागिता की :-

1-	प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति	-	अध्यक्ष
2-	प्रो0 आर0सी0 पन्त , पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय	-	सदस्य
3-	प्रो0 आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा	-	सदस्य
4-	प्रो0 जे0के0 जोशी, निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा	-	सदस्य
5-	प्रो0 गोविन्द सिंह , निदेशक, मानविकी विद्याशाखा	-	सदस्य
6-	प्रो0 गिरिजा पाण्डे , निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा	-	सदस्य
7-	प्रो0 वी0के0 कौल, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा	-	सदस्य
8-	प्रो0 एच0पी0 शुक्ल,निदेशक, भाषा विद्याशाखा/परीक्षा नियंत्रक	-	सचिव/सदस्य

विशेष आमंत्री

1- श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक ।

2- श्री डी0के0 सिंह, उप कुलसचिव।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति के अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया तथा परीक्षा समिति के सम्मानित सदस्यों तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का अभिनन्दन तथा स्वागत करते हुवे समिति के समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची में उल्लखित प्रस्तावों पर विचार हेतु सदस्यों को आमंत्रित किया जिस पर बैठक में प्रस्तावावार चर्चा हुई तथा निर्णय लिये गये।

प्रस्ताव संख्या 01:- परीक्षा समिति की तृतीय बैठक दिनांक 14/03/2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

परीक्षा नियंत्रक ने समिति को अवगत कराया कि परीक्षा समिति की तृतीय बैठक के प्रस्तावों पर कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुए है तथा निर्णयों पर कार्यवाही की गयी है । इस प्रकार परीक्षा समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव संख्या 02 :- परीक्षा समिति की तृतीय बैठक के निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

परीक्षा नियंत्रक ने समिति के समक्ष परीक्षा समिति की तृतीय बैठक में लिये गये निणयों पर प्रस्तावावार कृत कार्यवाही के विवरण प्रस्तुत किये जिन पर समिति ने संतोष व्यक्त किया ।

समिति ने परीक्षा समिति की तृतीय बैठक दिनांक 14/03/2011 के परीक्षा केन्द्रों की स्थापना विषयक प्रस्ताव पर पुनः विस्तार से चर्चा की तथा इस सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये ।

1- **परीक्षा केन्द्रों की स्थापना में शासकीय/शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाए।**

2- **परीक्षार्थियों की सम्भावित संख्या के सन्दर्भ में परीक्षा केन्द्रों का निम्नवत निर्धारण किया जाय।**

a) **सुगम मैदानी क्षेत्रों के परीक्षा केन्द्रों के लिए न्यूनतम छात्र संख्या ----- 150 से 200 विद्यार्थी तक।**

b) **पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम केन्द्रों के लिए न्यूनतम छात्र संख्या -------- 90 से 100 विद्यार्थी तक।**

c) पहाड़ी क्षेत्रों के अति दुर्गम केन्द्रों के लिए न्यूनतम छात्र संख्या ------- 40 से 50 विद्यार्थी तक।

3 विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अध्ययन केन्द्र को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में यदि कोई अध्ययन केन्द्र परीक्षा केन्द्र भी है, तो उसी केन्द्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नगर के किसी अन्य परीक्षा केन्द्र में आवंटित किया जाएगा। यदि उसी नगर में या नगर के समीप अन्य परीक्षा केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं तो इस स्थिति में परीक्षार्थी अपने केन्द्र में परीक्षा देंगे। परन्तु इस स्थिति में ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर विश्वविद्यालय का पर्यवेक्षक अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाएगा।

<u>प्रस्ताव संख्या 03:-</u> **एक सत्र में एक विद्यार्थी को एक पाठ्यक्रम से अधिक पाठ्यक्रमों में स्वीकृति से सम्बन्धित विषय पर गठित कमेटी की आख्या पर परीक्षा समिति की तृतीय बैठक 14/03/2011 के मद संख्या 05 पर समिति द्वारा दिये गये निर्देश पर प्रस्तावक समिति की संस्तुति। (संलग्नक 01)**

उपाधि पाठ्क्रमों तथा प्रमाणपत्र /डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एक साथ दो पाठ्यक्रमों की व्यवस्था पर विचार हेतु परीक्षा समिति की तृतीय बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित समिति की अनुशंसा परीक्षा समिति के विचारार्थ **संलग्न** है।

इस सम्बन्ध में समिति के संज्ञान में यह तथ्य भी लाना हैं कि प्रस्तावक समिति द्वारा परीक्षा समिति की तृतीय बैठक में दिये गये निर्देश के तहत प्रमाणपत्र/डिप्लोमा की परीक्षाओं में ओ0एम0आर0 पद्धति के सम्बन्ध में भी विचार किया है। इस विषय पर प्रस्तावित समिति के संस्तुति के उपरान्त अलग से विचार विमर्श कर विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणपत्र /डिप्लोमा पाठ्क्रमों में ओ0एम0आर0 पद्धति लागू करने का निर्णय लिया है जो कि एक अलग प्रस्ताव के माध्यम से परीक्षा समिति के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः परीक्षा समिति से अनुरोध है कि उपाधि पाठ्यक्रमों तथा प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एक साथ दो पाठ्यक्रमों की व्यवस्था के सम्बन्ध मं समिति द्वारा की गई स्वीकृति पर विचार करने की कृपा करें।

<u>निर्णय :-</u>

इस सम्बन्ध में पूर्व गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति का अनुमोदन करते हुवे निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में उपाधि पाठ्यक्रमों तथा प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एक साथ दो पाठ्यक्रमों की व्यवस्था बनाना व्यावहारिक नहीं होगा। अतः एक विद्यार्थी को एक सत्र में एक पाठ्यक्रम से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश न दिया जाय।

<u>प्रस्ताव संख्या 04:-</u> विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाऐं ओ0एम0आर0 (OMR) पद्धति से किये जाने के सम्बन्ध में-

विश्वविद्यालय द्वारा अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं सुचिता बनाये रखने एवं परीक्षार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुवे विचारोपरान्त इस बीच सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ ओ0एम0आर0 पद्धति से सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस पद्धति के अन्तर्गत प्रश्नपत्रों के निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रश्नपत्रों की प्रकृति आदि पर विचार-विमर्श कर मानक निर्धारित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप यू0ओ0यू0/परीक्षा/414/2011-12/69 दिनांक 09/11/2011 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अपने पत्र दिनांक 16/11/2011 द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी

प्रस्ताव संख्या 06:- पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों को इस आशयक प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में। (संलग्नक 02)

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2006-07 में ऐसे छात्रों, जो स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के इच्छुक थे, परन्तु वे किसी संस्थान से हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये थे, के लिए एक पात्रता परीक्षा आयोजित की गयी थी। इस पात्रता परीक्षा में सफल रहे छात्रों को विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया । इस प्रकार के परीक्षार्थी, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, विश्वविद्यालय से इस आशयक एक प्रमाणपत्र की मांग कर रहे थे, जिससे उनकी स्नातक स्तर से पूर्व की शैक्षिक स्थिति की स्थिति स्पष्ट हो सके।

विद्यार्थियों की इस कठिनाई एवं मांग का संज्ञान लेकर इस आशयक एक प्रमाणपत्र का प्रारूप सक्षम स्तर से अनुमोदित करा कर कुछ परीक्षार्थियों को उनकी मांग पर इस बीच उपलब्ध कराया गया है। प्रश्नगत प्रमाणपत्र का प्रारूप **(संलग्न)** परीक्षा समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए अनुरोध है कि समिति कृपया इस सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमोदन देना चाहें।

निर्णय :-

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि भविष्य में यह प्रमाणपत्र विद्यार्थियों को न दिया जाय। यदि इस सम्बन्ध में किसी विद्यार्थी का प्रार्थनापत्र प्राप्त होता है तो उस पर परीक्षा नियंत्रक निर्णय लेकर कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 07:- विश्वविद्यालय परीक्षा जुलाई/अगस्त 2011 के परीक्षाफल के सम्बन्ध में समीक्षात्मक आख्या

विश्वविद्यालय की परीक्षा जुलाई/अगस्त 2011 दिनांक 11/07/2011 से 20/07/2011 तथा 03/08/2011 से 22/08/2011 के मध्य विश्वविद्यालय के 8 क्षेत्रीय कार्यालयों (उत्तरकाशी,पौड़ी,रूड़की, देहरादून,हल्द्वानी,पिथौरागढ़,बागेश्वर,द्वाराहाट/रानीखेत) के अन्तर्गत 31 परीक्षा केन्द्रों में सुचारू रूप से आयोजित की गई। परीक्षा के उपरान्त उत्तरपुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन करवाकर एक माह के अन्दर परीक्षाफल घोषित कर दिया गया तथा परीक्षार्थियों के अंकपत्र तैयार कर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिये गये हैं।

इस परीक्षा में कुल सम्मिलित, उत्तीर्ण एवं अनुतीर्ण परीक्षार्थियों का विवरण निम्नवत प्रस्तुत है, साथ ही प्रत्येक पाठ्यक्रम के सफल/असफल परीक्षार्थियों का संज्ञान लेकर समीक्षात्मक टिप्पणी भी प्रस्तुत है।

क्र0स	पाठ्यक्रम	परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	अनुत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	समीक्षात्मक टिप्पणी
1	स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम	1631	1037	594	63.58%	63.58% छात्र स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में सफल रहे हैं इसप्रकार परीक्षाफल संतोषजनक एवं स्तरीय है।
2	स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम	1549	837	712	54.03%	स्नातक उपाधि पाठ्यक्रमों में 54.03% छात्र सफल हुए हैं, जो कि आशाजनक परिणाम नहीं है। अतः इस दिशा में

						अध्ययन केन्द्रों को अभिप्रेरित कर विशेष प्रयास की आवश्यकता है।
3	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	249	106	143	42.57%	42.57% छात्र स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हैं जो कि संतोषजनक स्थिति नहीं है। अतः पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विद्याशाखाओं को इस स्थिति का परीक्षण कर तथा अध्ययन केन्द्रों को अभिप्रेरित कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।
4	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	794	532	262	71.02%	डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में परिणाम 71.02% रहे है जो कि काफी संतोषजनक स्थिति है।
5	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	689	339	350	49.20%	49..20% छात्र प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हैं जो कि संतोषजनक स्थिति नहीं है । अतः पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विद्याशाखाओं को इस स्थिति में परीक्षणकर अध्ययन केन्द्रों को अभिप्रेरित कर सुधार लाने आवश्यकता है
सम्पूर्ण परीक्षा योग		**4912**	**2851**	**2061**	**58.04%**	विश्वविद्यालय परीक्षा के उपाधि, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र के सम्मिलित परिणाम (**58.04%**) संतोषजनक कहे जा सकते हैं। परन्तु वि0वि0 की विद्याशाखाओं को इस दिशा में चिन्तन कर सुधारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त अध्ययन केन्द्रों को भी इस दिशा में अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होगी।

परीक्षा के दौरान परीक्षा में सुचिता एवं प्रवित्रता बनाये रखने के विशेष प्रयास किए गये। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते 9 परीक्षार्थी संलिप्त पाये गये, जिनके सम्बन्ध में परीक्षा केन्द्राध्यक्ष की आख्या का संज्ञान लेकर तथा परीक्षार्थियों का इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सक्षम कमेटी की संस्तुति पर 6 परीक्षार्थियों की उस विषय की परीक्षा , जिसमें वे नकल करते पकड़े गये थे, को निरस्त कर उन्हें इस विषय की परीक्षा आगामी वर्ष में देने के निर्देश दिये गये तथा शेष 3 परीक्षार्थियों के स्पष्टीकरण पर विचार कर चेतावनी देकर उन्हें क्षमा कर दिया गया।

परीक्षा समिति के संज्ञानार्थ आख्या प्रस्तुत है। (समिति की संस्तुति संलग्न) - संलग्नक-5

निर्णय:-

1 **समिति ने प्रस्तुत परीक्षाफलों के सम्बन्ध में समीक्षात्मक आख्या का संज्ञान लिया तथा सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इससे पूर्व हुई परीक्षाओं को भी सम्मिलित कर तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की जानी चाहिए। समीक्षा विषयवार भी हो, तथा परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों के सन्दर्भ में कारणों का भी परीक्षण किया जाय। इस समीक्षा हेतु Data Analysis और चार्ट में प्रस्तुतिकरण के लिए डा0 गगन सिंह तथा डा0 अमितेन्द्र सिंह को नियुक्त किया गया।**

2 **अनुचित साधनों में लिप्त पाये गये विद्यार्थियों के प्रकरणों पर निर्णय लेने हेतु गठित समिति की विस्तृत आख्या अगली बैठकों में प्रस्तुत की जाय।**

प्रस्ताव संख्या 08:- विश्वविद्यालय की विद्यमान सुधार परीक्षा और बैक पेपर को अलग-अलग परिभाषित तथा कुछ संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन एवं छात्रों की मूल्यांकन नियमावली में सुधार परीक्षा के सम्बन्ध में उल्लखित प्रावधान के तहत कोई भी परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण हो अथवा परीक्षा के प्राप्तांकों से सन्तुष्ट न हो, दो विषयों में सुधार परीक्षा दे सकता है, जिसके लिए रू0 200/-प्रति विषय उसे शुल्क देना होगा।

परीक्षा समिति की तृतीय बैठक दिनांक 14/03/2011 के मद संख्या 10 में समिति द्वारा बैक पेपर की सुविधा प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थी को सभी प्रश्नपत्रों में देने की संस्तुति की है।

इस सम्बन्ध में परीक्षा समिति के संज्ञान में लाना हैं कि सुधार परीक्षा एवं Back Paper सुविधा शब्दावली अलग-अलग परिभाषित न होने से भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अत: आवश्यकता हैं इन्हें नियमावली में अलग-अलग नामों से इंगित कर परिभाषित कर दिया जाए तथा इनके मापदण्ड भी अलग-अलग निर्मित कर दिये जाएँ। इस सन्दर्भ में दोनों सुविधाओं को निम्नवत परिभाषित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सुधार परीक्षा सुविधा –

परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात यदि कोई विद्यार्थी स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर स्तर की परीक्षा में प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वह रू0 200/-प्रति प्रश्नपत्र शुल्क का भुगतान कर सुधार परीक्षा दे सकता है। यह सुविधा विद्यार्थी को अपने चयनित पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक विषयों की आधी संख्या में ही उपलब्ध होगी। यथा – स्नातक परीक्षा में- 3 में से 2 विषय – **इसमें चयनित विषय के सभी लिखित प्रश्न पत्रों में परीक्षा देनी होगी** । स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सार्टिफिकेट परीक्षा – 3/4 प्रश्नपत्रों में -2 तथा 5/6 प्रश्नपत्रों में – 3 प्रश्नपत्रों में सुधार परीक्षा अनुमन्य होगी।

सुधार परीक्षा किसी भाग/वर्ष अथवा सेमेस्टर के लिए केवल एक बार दी जा सकती है।

पूर्व और सुधार परीक्षा के प्राप्तांकों में जो अधिक होगा, वही मान्य होगा।

बैक पेपर सुविधा-

कोई भी विद्यार्थी अपने चयनित पाठ्यक्रम के जिन विषयों में अनुर्तीण हो वह उन विषयों में प्रति प्रश्नपत्र रू0 200/- शुल्क का भुगतान कर बैक पेपर सुविधा के तहत पुनः परीक्षा दे सकता है। विद्यार्थी को यह सुविधा उन सभी विषयों में अनुमन्य होगी, जिनमें वह अनुर्तीण है।

बैक पेपर सुविधा परीक्षार्थी को एक प्रश्नपत्र में कितनी बार दी जाय, इस सम्बन्ध में अभी स्पष्टता नहीं है । प्रस्ताव है कि अधिक से अधिक एक प्रश्नपत्र में यह सुविधा वांछित शुल्क के साथ 2 बार दी जा सकती है तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए निर्धारित अधिकतम समय सीमा के अन्दर ही यह सुविधा अनुमन्य की जा सकती है।

बैक पेपर की यह व्यवस्था समान रूप से इन्हीं शुल्क एवं नियमों के साथ प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट पर भी लागू होगी ।

परीक्षा समिति से अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में विचार करने की कृपा करें।

निर्णयः-

समिति ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुवे निर्देशित किया कि ये परीक्षायें मुख्य परीक्षाओं के साथ ही आयोजित की जायेंगी । बैक पेपर की सुविधा, सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए निर्धारित अधिकतम समय सीमा की अवधि तक देय होगी।

प्रस्ताव संख्या 09:- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा फार्म भरते समय परीक्षा केन्द्र चुनने के उपरान्त उसे परीक्षा केन्द्र एलाट हो जाने के बाद परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र बदलने विषयक प्रार्थना पर रू0 500/-शुल्क का प्रावधान करने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए परीक्षा फार्म भरे जाने की तिथि की घोषणा के साथ परीक्षा केन्द्रों हेतु शहरों की सूची कोड सहित विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर इस सूचना के साथ प्रविष्ट करा दी जाती हैं कि परीक्षार्थी उनमें से कोई भी शहर परीक्षा हेतु चुन सकते हैं, जिसका उल्लेख उन्हें अपने परीक्षा फार्म में करना होगा। इस बीच कई प्रकरण ऐसे प्रकाश में आये हैं जिनमें परीक्षार्थी ने अपने परीक्षा फार्म में परीक्षा हेतु अंकित परीक्षा केन्द्र के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के ठीक पहले प्रस्तुत किये , जिससे परीक्षा विभाग के समक्ष कई कार्यगत कठिनाइयां पैदा हुई हैं। अतः परीक्षार्थियों की इस प्रवृत्ति में अकुंश लगाये जाने हेतु प्रस्ताव हैं कि ऐसे परीक्षार्थी, जो अपने परीक्षा फार्म में इंगित परीक्षा केन्द्र के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र देते हैं उनके प्रार्थनापत्रों पर रू0 500/- शुल्क का प्रावधान करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः परीक्षा समिति से अनुरोध हैं इस प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेना चाहे।

निर्णयः-

समिति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर तदनुसार कार्यवाही हेतु निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 10:- किसी पाठ्यक्रम के अर्हता पाठ्यक्रम (Preparatory Programme) **परीक्षा उत्तीर्ण करने के 2 वर्ष के अन्दर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के सम्बन्ध में ।**

परीक्षा समिति के संज्ञान में लाना हैं कि वाणिज्य, कला तथा कम्प्यूटर अप्लिकेशन में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से पूर्व ऐसे प्रवेशार्थियों को जिन्होंने कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, इन विषयों के अर्हता पाठ्यक्रम **(Preparatory Programme) BAPP/BCPP/BCAPP** की परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होती है। बहुधा देखने में आता है कि कई विद्यार्थी अर्हता पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लम्बे समय के उपरान्त विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए प्रार्थना करते हैं। इतने लम्बे अन्तराल तक विद्यार्थी का अध्ययन से सम्पर्क न रहने से स्नातक स्तर पर उसके अध्ययन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

चूंकि अर्हता पाठ्यक्रम परीक्षा एक सीमित उद्देश्य से लागू की गयी है, अतः प्रस्ताव है कि अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को दो अकादमिक वर्ष के अन्दर ही स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा।

परीक्षा समिति कृपया इस प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय देना चाहे।

निर्णय :-

समिति ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुवे निर्देशित किया कि इन पाठ्यक्रमों के अंकपत्रों में इस नियम का उल्लेख कर दिया जाय – <u>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु केवल दो वर्ष के लिए मान्य।</u>

<u>प्रस्ताव संख्या 11</u>:- लेटरल इन्ट्री के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश पाये छात्रों के परीक्षाफल के लिए उनके प्राप्तांकों के निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा पर अनुमति के सम्बन्ध में। (संलग्नक 03)

विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों/समकक्ष संस्थानों से पाठ्यक्रम का प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष पूर्ण कर इस विश्वविद्यालय में लेटरल इन्ट्री के इच्छुक अभ्यार्थियों की समस्याओं के निदान के लिए मैकेनिज्म सुझाने हेतु कुलपति जी के निर्देशानुसार गठित समिति ने लेटरल इन्ट्री की विधि निर्धारित करने के साथ ही लेटरल इन्ट्री के आधार पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के निर्धारण पर भी विचार किया।

इस सम्बन्ध में समिति ने संस्तुति की है , "कि लेटरल इन्ट्री के आधार पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के प्रकरणों में उनके पूर्व संस्थानों के प्राप्तांकों को **<u>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रतिशतांक में परिवर्तित किया जाय</u>** क्योंकि कुल प्रतिशत के आधार पर ही विश्वविद्यालय द्वारा श्रेणी तथा उपाधि का आधार निर्धारित किया जायेगा "।

लेटरल इन्ट्री के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश पाये परीक्षार्थियों की अंकतालिका परीक्षा विभाग से निर्गत की जानी है। अतः प्रस्ताव हैं कि लेटरल इन्ट्री के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश पाये विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के निर्धारण के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रदत्त संस्तुति (संलग्न) पर विचार कर परीक्षा समिति निर्णय लेना चाहे ।

<u>निर्णयः-</u>

परीक्षा समिति ने इस सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति को स्वीकार करने का निर्णय लिया ।

<u>प्रस्ताव संख्या 12</u>:- विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यों में संलग्न प्राध्यापकों/कर्मचारियों के पूर्व निर्धारित मानदेय दरों पर पुनर्विचार हेतु गठित समिति की अनुशंसा के उपरान्त निर्धारित मानदेय दरों में पुनःसुधार के सम्बन्ध में। (संलग्नक 04)

विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यों में संलग्न प्राध्यापकों/कर्मचारियों के पूर्व निर्धारित मानदेय दरों तथा उनके परीक्षा केन्द्र में तैनाती मानकों पर पुनर्विचार हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की दिनांक 28/12/2011 की बैठक में संस्तुतित मानदेय दरों तथा तैनाती मानकों के सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर दिये गये थे परन्तु विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा फरवरी-2012 के दौरान परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों द्वारा तैनाती मानकों के सम्बन्ध में इंगित कठिनाइयों का संज्ञान लेकर मानदेय दरों तथा परीक्षा केन्द्रों में तैनाती मानकों के सम्बन्ध में निर्गत आदेश में तैनाती मानकों के सम्बन्ध में कुछ संशोधन कर अन्तिम रूप से **विश्वविद्यालय पत्रांक यू0ओ0यू0/414/परीक्षा/ 2012/390(01) दिनांक 11/02/2012 (प्रति संलग्न)** द्वारा परीक्षा केन्द्रों को मानदेय दरों/तैनाती मानकों की सूचना दी गयी थी।

इस बीच परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों द्वारा अब परीक्षा कार्यों में संलग्न प्राध्यापकों/कर्मचारियों के मानदेय दरों के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां प्रकट की गयी है तथा संशोधन का अनुरोध किया है। विश्वविद्यालय को अपनी परीक्षायें आयोजित कराने हेतु महाविद्यालयों/विद्यालयों पर ही आश्रित रहना होता है तथा वे यदाकदा हमारी परीक्षाओं से अपने विद्यालयों के सामान्य कार्य प्रभावित होने आदि का सहारा लेकर वि0वि0 परीक्षा आयोजन पर वांछित तत्परता नहीं दिखाते हैं। अतः उन्हें अभिप्रेरित करने हेतु उनके द्वारा इंगित शिकायतों/समस्याओं का संज्ञान लेना आवश्यकीय भी हो जाता है, जिससे विश्वविद्यालय परीक्षायें सुचारू रूप से सम्पादित हो सकें।

इसी सन्दर्भ में प्रस्तावित हैं कि उपरोक्त वर्णित कार्यालय पत्र दिनांक 11/02/2012 द्वारा प्राध्यापकों/कर्मचारियों के मानदेय दरों को यथावत रखते हुवे विश्वविद्यालय की परीक्षा कार्यों के सम्पादन हेतु उन्हें अभिप्रेरित करने की दृष्टि से उनको अतिरिक्त परीक्षा/स्थानीय यात्रा भत्ता निम्नवत दिया जाना प्रस्तावित है।

1- केन्द्राध्यक्ष - प्रतिपाली पूर्व निर्धारित मानदेय रू0 200 + रू0 75 प्रतिपाली भत्ता।
2- सहायक केन्द्राध्यक्ष - प्रतिपाली पूर्व निर्धारित मानदेय रू0 150 + रू0 75 प्रतिपाली भत्ता।
3- कक्ष निरीक्षक - प्रतिपाली पूर्व निर्धारित मानदेय रू0 120 + रू0 75 प्रतिपाली भत्ता।
4- तृतीय श्रेणी कर्मचारी - प्रतिपाली पूर्व निर्धारित मानदेय रू0 80 + रू0 60 प्रतिपाली भत्ता।
5- चतुर्थ श्रेणी कमर्चारी - प्रतिपाली पूर्व निर्धारित मानदेय रू0 50 + रू0 40 प्रतिपाली भत्ता।

परीक्षा समिति कृपया प्रस्ताव पर विचार करना चाहें।

निर्णय:-

परीक्षा समिति ने विश्वविद्यालय पत्रांक यू0ओ0यू0/414/परीक्षा/ 2012/390(01) दिनांक 11/02/2012 के संशोधित मानकों का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया तथा आगामी परीक्षाओं में कार्यरत प्राध्यापकों/कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित मानदेय के साथ रू0 50/- प्रतिदिन स्थानीय यात्रा भत्ता अनुमन्य किया। वित्त समिति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित कराने के लिए निर्देशित किया।

प्रस्ताव संख्या 13 :- अन्य बिन्दु जिन पर विचार हुआ तथा निर्णय लिए गए -

1- विद्यार्थियों के अंकपत्र /प्रमाणपत्र/डिग्री निर्गत करते समय उनके नाम के पहले श्री/श्रीमती/कुमारी (जहां जो वांछित हो) अंकित किया जाय।

2- समिति के संज्ञान में लाया गया कि विद्यार्थियों के अंकपत्र/प्रमाणपत्र में तृतीय श्रेणी न देकर मात्र उत्तीर्ण लिखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया कि विद्यार्थियों के अंकपत्र/प्रमाणपत्र पर उनके अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अलावा तृतीय श्रेणी भी अंकित किया जाय।

3- परीक्षा विभाग और वित्त विभाग के सहयोग से परीक्षा विभाग के आय व्यय का विवरण तैयार किया जाय जिसमें आगामी परीक्षा के लिए बजट का भी प्रावधान हो। परीक्षा विभाग के आय-व्यय के विवरण में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चों के साथ अधिष्ठान मद में हो रहे खर्चे भी सम्मिलित हों। इस सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, उप कुलसचिव तथा परीक्षा विभाग से डा0 सूर्यभान सिंह तथा डा0 पी0सी0 जोशी कार्यवाही कर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

4- सत्रीय कार्य के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश, अनिवार्य कार्यशालाओं एवं काउन्सिलिंग के स्वरूप तथा बैक पेपर एवं सुधार परीक्षा की विस्तृत नियमावली पर समीक्षात्मक अध्ययन एवं सुझाव हेतु निम्नलिखित कमेटी का गठन किया गया।

a) प्रो0 एच0पी0 शुक्ल
b) प्रो0 आर0सी0 मिश्र
c) प्रो0 वी0के0 कौल

बैठक के अन्त में समिति के अध्यक्ष ने समिति के सभी सम्मानित सदस्यों तथा उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की।

परीक्षा नियंत्रक

Approved